उत्तराखण्ड शासन
श्रम विभाग
संख्याः– 276 / VIII-1 / 20–31(श्रम) / 2015–टी0सी0
देहरादूनः दिनांकः 08 अप्रैल, 2020

आदेश

ब्वॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा–34 (2) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में स्थापित ऐसे पंजीकृत ब्वॉयलर्स जिनके प्रमाण पत्र की वैधता 15 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के मध्य समाप्त हो गई हो या हो रही हो तथा जिनके द्वारा COVID-19 के संकट के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अनिर्बाध सेवा में उत्पादित वस्तुओं या Continuous process के कारखानों में कार्य किया जा रहा है, के विषय में ब्वॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा–6(C) तथा धारा–8 के अंतर्गत नवीनीकरण की वैधता निम्न प्रतिबंधों के अधीन दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के लिए विस्तारित की जाती है।

1. विस्तारण की अवधि के दौरान ब्वॉयलर स्वामी को ब्वॉयलर अधिनियम, 1923 ब्वॉयलर अटैण्डेण्ट नियमावली तथा ब्वॉयलर ऑपरेशन नियमावली में दिये गये सुरक्षा विषयक प्राविधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
2. विस्तारित अवधि में ब्वॉयलर स्वामी प्रतिष्ठान में स्थापित ब्वॉयलर में किसी भी प्रकार की मरम्मत मुख्य ब्वॉयलर निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।
3. ब्वॉयलर स्वामी Lockdown की अवधि के उपरांत नवीनीकरण अविलम्ब एवं यथाप्रक्रिया संपन्न करा लेंगे। इस मध्य यथा प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन कर देंगे।
4. COVID-19 के कारण घोषित Lockdown से उत्पन्न परिस्थितियों में प्रदत्त यह विस्तारीकरण मात्र उन ब्वॉयलर्स पर ही लागू होगा जिनका नवीनीकरण 15 मार्च, 2020 या उसके के बाद समाप्त हो गया हो या हो रहा हो तथा वर्तमान में उनका प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति से अनिर्बाध सेवा में उत्पादित वस्तुओं या Continuous process के कारखानों में किया जा रहा है।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः– 276(1) / VIII-1 / 20–31(श्रम) / 2015–टी0सी0, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
3. मुख्य ब्वॉयलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी।
4. समस्त औद्योगिक संगठनों को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।

UO Labour P.B